बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–05/2019 291 /पटना, दिनांकः– 21/12/21

कार्यालय आदेश

श्री भरत भूषण, तत्कालीन अंचलाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक–319/स्था० दिनांक–15.03.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप प्रारूप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (4) के तहत निदेशालय के पत्रांक–1254 दिनांक–01.07.2019 द्वारा श्री भरत भूषण से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री भरत भूषण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–16.07.2019 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–224 सहपठित ज्ञापांक–1701 दिनांक–04.09.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।श्री भरत भूषण के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनो का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

i. वरीय पदाधिकारी को भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

ii. कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता तथा आपदा जैसे संवेदनशील विषय पर उदासीनता एवं संवेदनहीनता बरतना।

श्री भरत भूषण के विरूद्ध आरोप पत्र के तृतीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन में निम्न आरोप गठित किये गये :–

i. अंचल अधिकारी, फेनहारा के पत्रांक–671 दिनांक–09.10.217 द्वारा सूची सहित 667 परिवारों का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने का प्रतिवेदन सौंपा गया। प्रतिवेदन के आलोक में जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक–701 दिनांक 19.09.2018 द्वारा मो० 30,06,000/–(तीस लाख छः हजार) रूपये उपावंटन प्राप्त हुआ।

ii. क्षतिग्रस्त मकान प्रभावितों को भुगतान हेतु सूची के साथ अभिलेख तैयार कर अभिलेख में टिप्पणी अंकित करते हुए कि " सूची सर्वेक्षित एवं सत्यापित नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता" जो कि भ्रामक एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है। सरकार/विभाग को प्रभावितों की सूची प्रेषित करना एवं भुगतान के लिए अभिलेख पर टिप्पणी विरोधाभाषी है। तत्कालीन अंचलाधिकारी के उक्त कृत से वास्तविक लाभुकों को सहाय्य की राशि का भुगतान नहीं हो सका जिससे स्थानीय प्रशासन एवं सरकार की छवि धूमिल हुई एवं पीड़ित सहायता से वंचित हुए।

उक्त प्राप्त आरोप के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–1254 दिनांक– 01.07.2019 द्वारा गठित आरोप प्रारूप पर श्री भरत भूषण से अभ्यावेदन की मांग की गयी। अपने अभ्यावेदन में श्री भरत भूषण द्वारा यह कहना कि क्षतिग्रस्त मकान के प्रभावितों को भुगतान हेतु सूची के साथ अभिलेख हस्ताक्षर एवं सत्यापन हेतु प्रभारी लिपिक द्वारा दिनांक–09.10.2017 से पदस्थापन काल तक पारगमन की तिथि–17.07.2018 के बीच

0335 स्था0 1 (का0आ0) (14 दिसंबर 2021) भरत भूषण.

उपस्थापित ही नहीं किया गया, के तथ्य को संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अंचल अधिकारी होने के नाते इन्हें स्वयं रूचि लेते हुए क्षतिग्रस्त मकान के प्रभावितों की सूची एवं अभिलेख प्रभारी लिपिक द्वारा तैयार करवाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण वास्तविक लाभुकों को सहायय् की राशि का भुगतान नहीं हो सका।

iii. श्री भरत भूषण का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन है।

2. श्री भरत भूषण, तत्कालीन अंचलाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) ने दिनांक–16.07.2019 द्वारा आरोप पर अभ्यावेदन समर्पित किया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि :–

'' पत्रांक–671 दिनांक–09.10.2017 द्वारा गृह क्षति संभावित सर्वेक्षित संख्यात्मक प्रतिवेदन पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर कुल –812 क्षतिग्रस्त कच्चा घर का प्रतिवेदन दिया गया था, न कि 667 परिवारों का। यह संख्यात्मक प्रतिवेदन अपने आप में स्वतः विरोधाभाष है।

बाढ़ 2017 के लिए आवंटन आदेश जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के ज्ञापांक–701/आ०प्र० दिनांक–19.09.2018 से निर्गत है, जबकि वे दिनांक–17.07.2018 को फेनहारा अंचल से विरमित हो चुके थे। उनका कहना है कि उनके पदस्थापन अवधि में आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

क्षतिग्रस्त मकान के प्रभावितों को भुगतान हेतु सूची के साथ अभिलेख हस्ताक्षर एवं सत्यापन हेतु प्रभारी लिपिक द्वारा दिनांक–09.10.2017 से उनके पदस्थापन काल तक पारगमन की तिथि –17.07.2018 के बीच उपस्थापित ही नहीं किया गया ।

3. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच)–सह संचालन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–106 दिनांक–29.10.2021 द्वारा श्री भरत भूषण के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का आरोपवार प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

<u>आरोप संख्या–1</u>

'' आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप संख्या–01 के संबंध में अंचलाधिकारी, फेनहारा के ज्ञापांक–671 दिनांक–09.10.2017 की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है । उक्त पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त विभिन्न प्रकार के घरों की कुल संख्या–812 के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा भी अपने जवाब में इसी संख्या का उल्लेख किया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में अंचलाधिकारी, फेनहारा से प्रतिवेदन की मांग किया गया जो उनके पत्र संख्या–14 दिनांक–13.01.2021 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में विभिन्न प्रकार के क्षतिग्रस्त घरों की कुल संख्या–812 ही प्रतिवेदित किया गया । इस तरह आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संख्या–01 भ्रामक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।''

<u>आरोप संख्या–2</u>

'' बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति /पुनर्रस्थापन हेतु जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के ज्ञापांक–701 दिनांक–19.09.2018 से 30,06,000 /–(तीस लाख छः हजार) रूपये आवंटित की गयी थी। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य के रूप में पत्र संख्या–754 दिनांक–17.11.2017 की प्रति संलग्न किया गया है। पत्र में बाढ़ के कारण हुई क्षति एवं उनके पुनर्रस्थापन, पुननिर्माण तथा राहत एवं बचाव कार्य में होने वाले

गृह क्षति संबंधी प्रतिवेदन राजस्व कर्मचारी, जनसेवक एवं अमीन से मांग किया गया था, जिसके आलोक में क्षतिग्रस्त कच्चा/पक्का मकानों एवं झोपड़ियों से संबंधित सर्वेक्षण सूची, जो पंचायत सचिव एवं हल्का राजस्व कर्मचारी से प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में अभिलेख संधारण किया गया था। पंचायतवार तैयार किये गये अभिलेख की सूची संलग्न किया गया है तथा उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के प्रतिवेदन पत्र संख्या–60 दिनांक–30.01.2021 के साथ साक्ष्य के रूप में अंचलाधिकारी, फेनहारा का पत्रांक–14 दिनांक–13.01.2021, ज्ञापांक–671 दिनांक–09.10.2017, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन संबंधी राशि का उपावंटन जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक–701 दिनांक–19.09.2018 की प्रति एवं आरोपी पदाधिकारी का स्थानान्तरण के पश्चात विरमित किये जाने संबंधित आदेश ज्ञापांक–957 दिनांक–16.07.2018 की प्रति संलग्न किया गया है। इस तरह आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' में लगाया गया आरोप के अनुसार आरोपी पदाधिकारी के द्वारा बाढ़ प्रभावितों के क्षतिग्रस्त मकान का सर्वेक्षण सूची तैयार नहीं करने एवं बाढ़ प्रभावितों को भुगतान नहीं किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा विभाग को प्रभावितों की सूची प्रेषित करना एवं भुगतान के लिए अभिलेख पर भ्रामक टिप्पणी होने के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। वैसी स्थिति में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप संख्या–02 में लगाये गये आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।"

श्री भूषण के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री भूषण के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री भरत भूषण, तत्कालीन अंचलाधिकारी, फेनहारा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

ह०/–
(बैद्यनाथ यादव)
निदेशक

ज्ञापांक:– अ०सां०नि०/स्था०17–05/2019 1659 /पटना, दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को उनके पत्रांक–319/स्था० दिनांक–15.03.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री भरत भूषण, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/12

0335 स्था० 1 (का० आ०) (14 दिसंबर 2021) भरत भूषण.